भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2385

उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

विश्वविद्यालय में पीएचडी कार्यक्रम की समीक्षा

†2385. **श्री परषोत्तमभाई रुपाला:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में पीएचडी कार्यक्रमों की एक व्यापक समीक्षा शुरू की है और यदि हां, तो, इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएचडी अनुसंधान की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और सत्यनिष्ठा के संबंध में सुधार के लिए यूजीसी द्वारा लागू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और पर्यवेक्षण मानदंड, पाठ्यक्रम की सुदृढ़ता, साहित्यिक चोरी पर नियंत्रण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप परिणाम-आधारित मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ग) धोखाधड़ी के साधनों के माध्यम से प्राप्त पीएचडी डिग्रियों को रद्द न करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू न करने के कारण क्या हैं और क्या सख्त प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यूजीसी ने राष्ट्रीय लाभ वाले उल्लेखनीय पीएचडी अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय मान्यता या प्रोत्साहन ढांचे का प्रस्ताव किया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी (पीएचडी की डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं) विनियम, 2022 अधिसूचित किए हैं, जो केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित सभी विश्वविद्यालयों, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान और पीएच.डी. कार्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति प्राप्त डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त कॉलेजों पर लागू होते हैं।

यूजीसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएचडी प्रदान करने के लिए यूजीसी विनियमों के उल्लंघन को नियंत्रित करने के उपाय सुझाने के लिए यूजीसी द्वारा दिनांक 20.04.2023 को एक स्थायी समिति का गठन किया गया था। इसके बाद, स्थायी समिति को सहायता प्रदान करने के

लिए विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई पीएचडी डिग्रियों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया था। इस विशेषज्ञ समिति को विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई पीएचडी डिग्री के संबंध में प्रदान किए गए आंकड़ों की जांच/मूल्यांकन करने और अपनी सिफारिशें देने का काम सौंपा गया है कि क्या इन विश्वविद्यालयों ने पीएचडी की डिग्री यूजीसी पीएचडी विनियम 2009, 2016 और 2022 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रदान की है। इस स्थायी समिति ने, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, अपनी सिफारिशें दी हैं, जिन्हें बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष विचारार्थ और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के विनियमों का पालन नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करता है। अब तक, 92 विश्वविद्यालयों की जांच/समीक्षा की गई है ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार आंकड़ों का रख-रखाव कर रहे हैं और पीएचडी प्रदान कर रहे हैं, जिनमें से 5 विश्वविद्यालयों को अगले 5 वर्षों के लिए पीएचडी कार्यक्रम में छात्रों को नामांकित करने से रोक दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन के अभाव में इन विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले पीएचडी कार्यक्रमों को उच्चतर शिक्षा और रोजगार के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त/वैध नहीं माना जाएगा।
